उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्रांक– सी– 90 /लेखा–1/ 2018–19 दिनांक 24.01.2019

समस्त शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण

अवगत कराना हैं कि दिनांक 31.01.2019 तक बैंक द्वारा नाबार्ड एवं **NCDC** को मु0 367.00 करोड़ का भुगतान किया जाना है। इस हेतु आपके द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। शाखाओं द्वारा दैनिक वसूली को प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली धनराशि की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय शाखाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार दैनिक वसूली की धनराशि को प्रधान कार्यालय प्रेषित नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बैंक की देयताओं हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता अत्यन्त कठिन हो गई है।

अतः बैंक के परिपत्र संख्या–सी–09/लेखा/2018–19 दिनांक 24.04.2018 के कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही धनराशि प्रधान कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें । प्रधान कार्यालय के निर्देशो की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी शाखाओं द्वारा प्रेषित की जाने वाली धनराशि की समीक्षा कर उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. वरि0प्रबधक (आई0टी0सेल) ,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
3. प्राचार्य,(प्रशिक्षण केन्द्र),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।

(शैलेश आनन्द)
मुख्यवित्त एवं लेखाधिकारी